संख्या 61 /2017/1301/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800(52)/2012

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 19 जून,2017**

विषय- मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर स्थित उद्यान एवं लॉन के रख-रखाव हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-52/2017/1181/सात-न्याय-9(बजट)-2017-800(52)/2012 दिनांक 26 मई,2017 का क़पया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ परिसर स्थित उद्यान एवं लॉन के रख-रखाव हेतु अवशेष धनराशि रू014,60,000/- की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- इस सम्बन्ध् में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 26 मई,2017 में स्वीकृत धनराशि त्रुटिवश शब्दों में रूपये चौदह लाख बीस हजार मात्र अंकित हो गया है। अत: इसके स्थान पर एतदद्वारा **रूपये चौदह लाख साठ हजार मात्र** पढ़े जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- विषयक शासनादेश सं0-52/2017/1181/सात-न्याय-9(बजट)-2017-800(52)/2012 दिनांक 26 मई,2017 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे । शासनादेश दिनांक 26 मई,2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समक्षा जाय ।

भवदीय,

(रंगनाथ पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

सं0- 61 /2017/ 1301 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनउ बेंच लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ /मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइन इलाहाबाद ।
5- उद्यान अनुभाग, उ0प्र0 शासन / निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त ई- 12 / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।